



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/10/2021- 190

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भावसे,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 21/03/2023

विषय— श्री अरविन्द कुमार गुप्ता द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत कारमेध मौजा के खाता संख्या-745, 496(नया), 1370(पु.), खेसरा संख्या-745, 742(पु.), 1151, 1152(नया), अंचल-खुटौना, थाना-लौकहा (ललमनियाँ ओ.पी.) में NH-104 (Old), 227 (New) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.036 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/120193/2021/910 दिनांक 13.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 28.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 13.02.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,45,067.00 (रु० आठ लाख पैतालीस हजार सड़सठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 15062199120193396, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.02.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR520230221 33253563 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.036 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.036 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 34,480/- (चौतीस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 15062199120193396, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.02.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52023022133253563 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.02.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला के पत्रांक 133, दिनांक 24.01.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.036 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/10/2021- 190

दिनांक- 21/03/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, पिता-श्री कपील देव प्रसाद, ग्राम-धनुकी, पोस्ट-ललमनिया, भाया-ललमनिया, जिला-मधुबनी, पिन-847421 को सूचना हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Madhubani/ Mithila Forest Division, Darbhanga.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Arvind Kumar Gupta/ BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.036 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	13.02.2023				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	8,45,067/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	34,480/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	SBINR52023022133253563	34,480/-	NPV
		2	challan	dt. 21.02.2023	8,45,067/-	CA
		Total-			8,79,547 /-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 21.02.2023				
12	Any other remarks					

(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

42

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 28/02/2023

विषय—

श्री अरविन्द कुमार गुप्ता द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत कारमेध मौजा के खाता संख्या—745, 496(नया), 1370(खेसरा संख्या—745, 742(पु.), 1151, 1152(नया), अंचल—खुटौना, थाना—लौकहा (ललमनियाँ ओ.पी.) में NH-104 (Old), 227 (New) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.036 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

आपका पत्रांक 119] दिनांक 16.02.2023,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/120193/2021/910 दिनांक 13.02.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—10 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि—रु. 8,45,067.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 15062199120193396, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.02.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52023022133253563 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.036 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/— प्रति हे० की दर से कुल रु० 34,480/— को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 15062199120193396, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.02.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52023022133253563 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 21.02.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार गुप्ता,
पिता-श्री कपील देव प्रसाद,
ग्राम-धनुकी, पोस्ट-ललमनिया,
भाया-ललमनिया, जिला-मधुबनी,
पिन-847421

A.K. Gupta

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh

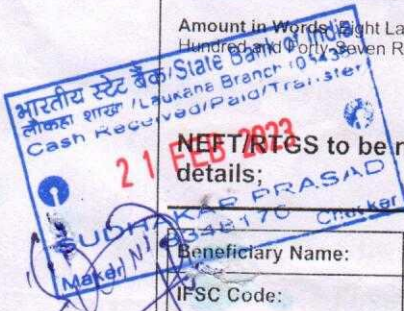
Union Bank of India Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-02-2023

Agency Name.	ARVIND KUMAR GUPTA
Application No.	199120193396
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/120193/2021
Location.	BIHAR
Address.	Village-Dhanuki, PO-Lalmaniya, Via-Laukaha, Madhubani
Amount(in Rs)	879547/-

Amount in Words: Eight Lakh Seventy-Nine Thousand Five Hundred and Forty-Seven Rupees Only



NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15062199120193396
	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

(Signature)

SIBINRS2023022
- 133253563

(Signature)

32

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, मधुबनी के तहत रैखिक
परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28-10-2014 को निर्गत दिशा-निर्देश के तहत)

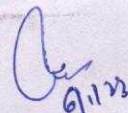
संख्या..... 58 दिनांक 7/01/2023

प्रमाणित किया जाता है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मौजा-कारमेघ, अंचल-खुटौना, थाना-लौकहा (ललमनियाँ ओपीओ) के खाता संख्या-745, 496 (नया), 1370 (पुराना) खेसरा संख्या-1151, 1152 (नया) 745, 742 (पुराना), थाना संख्या-09 में NH-104 (Old) 227 (New) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि के 0.036 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 1654, दिनांक 24.09.2021 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13-12-2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान:-

तिथि:-



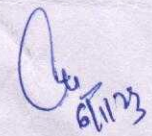
जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Place:-

Dated:-



जिला पदाधिकारी
मधुबनी।